

प्रेषण,

श्री विनोद कुमार सेठ,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-३

संख्या: दिनांक २ अप्रैल, १९८१

विषय :- राज्य सभा एवं लोक सभा के उत्तर प्रदेश में चुने गये माननीय सदस्यों को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन नियम की दली में निःशुल्क यात्रा की सुविधा ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य सरकार के पत्र संख्या ३२२/३०-२-४८५एन/७३ दिनांक २७-१-७६ के अन्तर्गत में मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि इस आगमन द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्वाचित लोक सभा एवं राज्य सभा के माननीय सदस्यों को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन नियम द्वारा सुवासित दली में प्रदेश के विधायकों की भाँति निःशुल्क यात्रा की सुविधा, जिसमें यात्री-कर, यात्री-कर पर कीमा अधिभार आदि में छूट भी शामिल होगी, प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

२- सही यह भी कहना है कि उपर्युक्त सदस्यों के सड़क सहायत्री जो भी उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन नियम के दली में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जायगी । उपरोक्त सहायत्री को यात्री कर तथा सरकारी आदि देना होगा ।

३- उपरोक्त के संबंध में होने वाला राज्य सड़क विस्तारि चर्च १९८१-८२ में आय व्यवस्था में लेखा शीर्षक "३३८-सड़क तथा जल परिवहन सेवाएँ-क-सड़क परिवहन आयोजन-५१११ परिवहन सेवा के तहत : सहायता-राज्य सड़क परिवहन नियम की दली में सड़क सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के तहत नियम की प्रतिफल का भुगतान" के नामे डाला जायगा तथा दली में से तहन किया जायगा ।

३- यह आदेश वित्त विभाग में अज्ञात सं० सं-७/३३५/दत-८१ दिनांक १ अप्रैल, १९८१ में प्राप्त नहयति में जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

४०- विनोद कुमार सेठ
संयुक्त सचिव

संख्या ३६१३५/तीत-३-८१ तददिनांक

- पुनिलिपि निम्नलिखित को तयनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- १- अध्यक्ष तथा प्रधान पब्लिक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन नियम तदनुकूल को इस अनुसंध के साथ प्रेषित कि वह इस संकल्प में आवश्यक सेवा समस्त अधिकारियों, वानकों परिचालकों तथा बुकिंग क्लर्कों को तुरन्त प्रसारित कर दे । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि सड़क सदस्यों को किसी स्थिति में अनुविधा न हो ।
 - २- इन्सिडर, उ०प्र० निदात, ३ कीटिलय सेन वाचस्पतुरी, नई दिल्ली ।
 - ३- संतदीय अनुभाग, उ०प्र० तदविधातय, लखनऊ ।
 - ५- वित्त अययं निव्यंणर अनुभाग-७
 - ५- परिवहन अनुभाग-५ एवं ३
 - ६- महोत्तरीकार उत्तरप्रदेश हलाहाबाद ।

आज्ञा से,
४० विनोद कुमार सेठ
संयुक्त सचिव ।